अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–914/2026

पीठासीन पदाधिकारी : उपेन्द्र कुमार दिनांक 10.08.2026

1. विकास कुमार ठाकुर पुत्र श्री संत ठाकुर.....आवेदक

बनाम

1. बिहार सरकार.....विपक्षी

आवेदक की ओर से : श्री राजेन्द्र सहनी, विद्वान अधिवक्ता
सूचिका की ओर से : श्री कुमार उत्तम, विद्वान अधिवक्ता
विपक्षी (राज्य) की ओर से : श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक

आदेश

10-08-2026

1. यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त **1. विकास कुमार ठाकुर** की तरफ से धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत सी.आर. सं0 1468/24 अन्तर्गत धारा 85 बी.एन.एस. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा के न्यायालय में दाखिल किया, जो सुनवाई के लिए इस न्यायालय के संचिका में हस्तानांतरित होकर प्राप्त हुआ।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता अधिवक्ता, सूचिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक श्री अमरेन्द्र नारायण झा को सुना गया।

3. सूचिका का वाद सारांश लिखित आवेदन के अनुसार उसकी शादी दिनांक 20.04.2018 को विकास कुमार ठाकुर के साथ हुई। शादी में से पूर्व उसके पिता ने फलैट खरीदने के नाम पर अभियुक्तों को दस लाख रुपये एवं लड़का के लिए एक लाख रुपया दिये। शादी में जेबर, सामान एवं तीन रुपये देकर विदा किये। उसके अपने पति से उसे दो बच्चे एक पुत्र एवं एक पुत्री हुई। उसके पिता ने उसे नर्सिंग कोर्स में नामांकन करा दिया। ससुर से अंतिम वर्ष की फीस जमा करने हेतु मांगी तो सभी अभियुक्तगण पति, देवर, सास, ससुर, ननद, नन्दोसी मिलकर उसे गंदी गंदी गाली देते हुए मारपीट करने लगे, तो सूचना पर उसके पिता आकर मायके ले गये। विरोध करने पर उसके पिता के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक का कोई भी अग्रिम जमानत अथवा जमानत आवेदन कहीं दाखिल नहीं किया गया है और ना ही खारिज किया गया है तथा ना ही जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप झूठा एवं आधारहीन है। आवेदक सूचिका का पति है। आवेदक अपनी पत्नी को अपने साथ पूरे मान–सम्मान के साथ रखने को तैयार है। आवेदक न्यायालय द्वारा लगाये गये शर्तो को पालन करने को तैयार है, ऐसी स्थिति में आवेदक को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाय।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा खारिज करने का अनुरोध किया गया।

6. उभयपक्षों को सुना एवं अभिलेख का आलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस कांड में धारा 85,318(3),352,3(5) बी.एन.एस. एवं ¾ डी.पी. एक्ट के अंतर्गत परिवाद पत्र दाखिल किया गया है। परिवादिनी के शपथ पर बयान एवं तीन जांच साक्षियों 1. केशव कुमार सिंह एवं 2.

पीठासीन पदाधिकारी : उपेन्द्र कुमार **दिनांक 10.08.2026**

रामबाबु तिवारी 3. संतोष कुमार के जांच साक्ष्योंपरान्त आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय द्वारा धारा 85 बी.एन.एस. में अपराध का संज्ञान भी लिया जा चुका है। यह मामला पति पत्नी के बीच विवाद का है। सूचिका को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस किया गया जिसपर सूचिका न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई। आवेदक सूचिका का पति है। आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तथा उसकी ओर शपथ पत्र दाखिल कर कहा गया है कि उसके बीच सुलह हो गया है तथा वह अपनी को अपने साथ बच्चों सहित रह रहा है जिसका समर्थन सूचिका द्वारा किया गया है। आवेदक को जमानत दिये जाने पर उसने अनापत्ति व्यक्त की है।

7. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक को कतिपय शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक / अभियुक्त **1. विकास कुमार ठाकुर** को धारा–482 बी.एन.एस.एस. के शर्तों के अधीन निम्न न्यायालय में इस आदेश के प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की दशा में **10,000 / –** रू0 (दस हजार रूपये) की राशि का दो प्रतिभू के साथ बंधपत्र देने पर इस शर्त के साथ जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है कि– (i) एक जमानतदार करीबी संबंधी होगा, (i) आवेदक अपने शपथ–पत्र के अन्तर्वस्तु का पालन करेगे।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित
ह0 / –
(उपेन्द्र कुमार)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम,
दरभंगा।

Date of Judgment/Order	06-08-2026
Date of Reserving Judgment/Order	06-08-2026
Uploading Date	06-08-2026
Uploaded by	Abhay Kumar(steno)